स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 5035, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./18

दिनांक : 10.07.2024

"बैठक कार्यवाही विवरण"

राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष श्रीमान जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में, विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 10.07.2024 को अपरान्ह 01:30 - 02:30 बजे तक समिति कक्ष द्वितीय, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित हुई।

उक्त बैठक में परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त, सर्वसम्मति से निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किये गयेः-

1. दिनांक 01.07.2023 से 30.06.2024 तक परिषद का आय-व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन एवं सह-कोषाध्यक्ष, श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका कार्यकारिणी द्वारा अवलोकन पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

2. नवांगतुक कनिष्ठ विधि अधिकारी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया, कि उक्त प्रशिक्षण राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) के मुख्य परीक्षा के आयोजन उपरान्त कराये जाने बाबत परिषद द्वारा प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग को ज्ञापन दिया जावें।

3. नवांगतुक कनिष्ठ विधि अधिकारियों एवं पूर्व से कार्यरत अधिकारीगण के नवीन परिचय पत्र विधि विभाग द्वारा शीघ्र जारी करने का अध्यक्ष महोदय को आश्वासन दिया गया, किन्तु इस बाबत सूचना प्रारूप तथा फोटों प्राप्त होने पर प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी। इस बाबत सभी अधिकारियों को व्हाट्सअप ग्रुप पर प्रारूप डालकर सूचित किया जा चुका हैं।

4. पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमुख शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव महोदय से सम्पर्क किया गया तथा उनके द्वारा इसी सप्ताह में प्रक्रिया प्रारम्भ करने का पूर्ण आश्वासन दिया गया हैं।

क्रमशः

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 5035, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./18 दिनांक : 10.07.2024

5. विधि सेवा स्मारिका एवं निर्देशिका 2024 परिषद द्वारा लगभग पूर्ण कर ली गई हैं, इस बाबत मा0 राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, विधि मंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव (विधि एवं विधिक कार्य विभाग), प्रमुख शासन सचिव (विधान सभा) से स्मारिका में उनके संदेश प्रकाशित किये जाने हेतु पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। निर्देशिका तथा परिचय पत्र विधि सेवा परिषद के सदस्यों को निःशुल्क तथा अन्य को 500/- रूपये शुल्क लेकर दिये जाने का भी निर्णय लिया गया।

6. संभाग स्तर पर संयुक्त विधि परामर्शी के नवीन पर सृजन हेतु मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(सुरेश चन्द शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपिः- प्रवक्ता, राजस्थान विधि सेवा परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

महासचिव